

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 357] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28, 1984/श्रावण 6, 1906  
No. 357] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28, 1984/SRAVANA 6, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिष्ठान

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1984

का. आ. 543(अ).—नियमन के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार (कार्य-आवंटन)  
नियम, 1961 में अप्रतिर संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ छकसठवां संशोधन)  
नियम, 1984 कहलायेंगे।  
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में, —

(क) “गृह मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत “भाग-II—समवती विषय”, उप-शीर्षक में :—

(i) शुरु के पैराग्राफ में, कोष्ठक के अन्दर के शब्दों “(केवल विधान के सम्बन्ध में)” के स्थान पर (केवल विधान के सम्बन्ध में 82 सम्बन्धी प्रविष्टि से भिन्न) प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) प्रविष्टि 82 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“82—आतंकवादियों से प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश, 1984—विशेष और अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना और अध्यादेश के अंतर्गत अन्य सभी मामले ।”

(ख) “विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय”, शीर्षक के अंतर्गत “ग. न्याय विभाग”, उप-शीर्षक की प्रविष्टि 6 का लोप किया जाएगा ।

जल सिंह, राष्ट्रपति

[सं. 74/2/16/84-मंत्रि.]

आर. वेंकटरायणन, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 1984

S.O. 543(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby

makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and sixty-first Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading “Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya)”, under the sub-heading “Part II—Concurrent Subjects”,—

(i) in the opening paragraph, for the words within brackets “(as regards legislation only)” the words “(as regards legislation only—except in respect of entry 82)” shall be substituted;

(ii) for entry 82, the following entry shall be substituted, namely :—

“82. The Terrorist Affected Areas (Special Courts) Ordinance, 1984—Establishment of Special and Additional Special Courts and all other matters, under the Ordinance.”

(b) under the heading “Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Vidhi, Nyaya Aur Kampani Karya Mantralaya)”, under the sub-heading “C. Department of Justice (Nyaya Vibhag)”, entry 6 shall be omitted.

ZAIL SINGH, President

[No. 74|2|16|84-Cab.]

R. VENKATANARAYANAN, Addl. Secy.

